



COVID-19
(MOST- URGENT)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/ 28672

दिनांक : 24/03/2020

आदेश

बाड़मेर जिले में वन विभाग द्वारा घायल वन्य जीवों को रेस्क्यू करने हेतु प्रयुक्त वाहन (राजकीय एवं टैक्सी) एवं वाहन में यात्रा कर रहे कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान आवागमन की अनुमति प्रदान की जाती है। ताकि घायल वन्यजीवों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जाकर उनका उपचार करवाया जा सके।

(अंशदीप)

जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/28673-686 दिनांक : 24/03/2020

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
2. उप वन संरक्षक, बाड़मेर
3. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
4. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर